संख्या : 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022

प्रेषक,

एस.राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 29 मार्च, 2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनाँक 30 दिसम्बर, 2021 (वेब साइट **http://shasanadesh.up.gov.in** पर भी उपलब्ध) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

2- उपरोक्त आदेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की लेखानुदान अवधि में समस्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ "2022-2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" साहित्य में अंकित अनुदानों के समक्ष लेखानुदान के लिये अंकित आवश्यक धनराशि की सीमा के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जारी की जायेंगी ।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अन्तरिम बजट का विस्तृत विवरण वित्त विभाग की वेब साईट **https://budget.up.nic.in** पर उपलब्ध है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्तीय वर्ष 2022-2023 की लेखानुदान अवधि में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 30 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 5/2022/बी-1-224(1)/दस-2022-231/2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
13 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
14 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic